संपादकीय

मनोहर ने छोड़ा पद नयाब सैनी ने संभाली कमान

हरियाणा में जजपा से गठबंधन टूटा लेकिन बहुमत भाजपा के ही पास है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। जिसमें से भाजपा के पास खुद के 41 एमएलए हैं। छह निर्दलीय और एक हलोपा विधायक का भी उसे समर्थन हासिल है यानी भाजपा के पास 48 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। गठबंधन टूट ने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के पद से इस्तीफा देते ही नयाब सैनी ने सीएम पद की कमान संभाली। लेकिन सीएम पद से इस्तीफा देते ही मनोहर लाल के दौबारा से सीएम पद की शपथ लेने के दावे किए जा रहे थे, इन सभी दावों से परे शाम को नयाब सैनी ने जब शपथ ली, तब जाकर लोगों को एहसास हो गया कि सीएम अब बदल चुके है, आगामी छह माह के लिए सीएम अब नयाब सैनी हो बनाया गया है। दल का नेता चुने जाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। सीएम के पद से हटाए जाने से जहां एक तरफ विपक्ष के नेताओं में खुशी है, वहीं कुछ बीजेपी नेता दुखी है। कांग्रेस के एनआईटी विधानसभा फरीदाबाद के एमएलए नीरज शर्मा ने तो एक वीडियों तक जारी करते हुए यह कह दिया कि जनता को रूलाने वाले का यही हाल होता है, सता चली गई, सीएम की। वहीं नयाब सैनी के सीएम बनाए जाने से स्वास्थ्य मंत्री खासे नाराज हो गए। इसका नजारा विधायक दल की बैठक के दौरान देखने को मिला। जब भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता के फैसले से पहले ही अनिल विज बैठक छोड़कर अचानक बाहर आ गए। सूत्रों ने बताया कि नेता के नाम को लेकर विज सहमत नहीं हैं। शाम को राजभवन में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का शपथ ग्रहण हुआ। बता दे कि नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पार्टी के सांसद हैं। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। पिछले साल 2023 में उन्हें बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विश्वासपात्र माना जाता है। सैनी को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। 1996 में उन्हें हरियाणा बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद वर्ष 2002 में नायब सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने थे। 2005 में नायब सिंह सैनी भाजपा अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्हें बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी बनाया गया।

> हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। जिसमें से भाजपा के पास खुद के 41 एमएलए हैं। छह निर्दलीय और एक हलोपा विधायक का भी उसे समर्थन हासिल है यानी भाजपा के पास 48 विधायक हैं।

बोधिवृक्ष

● संगीता

आम का पेड़

कुंतालपुर का राजा बड़ा ही न्याय प्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख-दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेष में अपने राज्य में घूमने निकला तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं ? वृद्ध ने धीमें स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने मे कई साल लग जाएंगे, तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आँखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है, जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहें होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता, उस पर मेहनत करना बेकार है, लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है? दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं? क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है, वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला था।

news@deshrojana.com

सामयिकी

देवेंद्र शर्मा

स्वतंत्र पत्रकार

> यह बदलाव उन अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जो तीन पड़ोसी देशों जेसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं।

सीएए का खुलकर विरोध तो कहीं खुशी की लहर

मोदी सरकार ने सीएए को लागू कर दिया, जहां एक तरफ इसे लेकर देशभर में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले देश और खासकर पश्चिम बंगाल एवं असम में ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया है। तो वहीं ममतर बनर्जी ने भी सीएए को लागू होते ही बयान दिया कि अगर सीएए के कारण लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो वह इसका विरोध करेंगी। लेकिन देश के कोने कोने में इस विधेयक को लागू करने के लिए पीएम का धन्यवाद किया जा रहा है।

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए बिल) पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। यह एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ और 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। हालांकि, यह 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ के साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर, 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर, 2019 को पास किया गया। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर, 2019 को विधेयक पास किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए पारित किया गया था। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। से छह धर्मों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के प्रवासियों पर लागू होता है। पात्र होने के लिए, व्यक्ति का पिछले 12 महीनों से लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 सालों से भारत में निवास होना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों में, निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई थी।

नागरिकता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच बनता है। यह रिश्ता कुछ अधिकारों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ आता है। नागरिकों को देश के कानूनों और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को देश के नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। नागरिक को सरकारी पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं।

भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, चाहे वह किसी भी राज्य या क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत, संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत, 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे। सातवीं अनुसूची के अनुसार, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। 1987 तक, भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाता था। लेकिन, बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की चिंता के कारण, कानूनों में बदलाव किया गया।

WE SUPPORT CAA

इसके बाद, नागरिकता के लिए यह आवश्यक हो गया कि कम से कम माता-पिता में से एक भारतीय हो। 2004 में, कानून में और बदलाव किया गया। अब, नागरिकता के लिए यह आवश्यक है कि माता-पिता में से एक भारतीय हो। दूसरा माता-पिता अवैध अप्रवासी न हो।

मौजूदा कानूनों के अनुसार, अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने से रोका जाता है। विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करते हैं और अवैध प्रवासियों को जेल या निर्वासन में डालने का प्रावधान करते हैं। वहीं भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, नागरिक बन सकता है। उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहना चाहिए।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत देशीयकरण के माध्यम से भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें पात्र होने के लिए, आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान, साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के दौरान भारत में रहना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में बदलाव करना है।

ये लेखक के अपने विचार हैं।

एक्स हैंडल

@BhimArmyChief

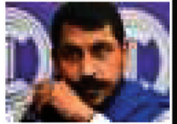

चंद्रशेखर आजाद
भीमआर्मी
अध्यक्ष

संविधान बदलना भाजपा और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है, भाजपा सांसद अनंत कुमार हेंगडे का बयान ₹ 400 सीटें संविधान बदलने के लिए ₹ उसी मंशा को और भी अधिक पुख्ता करता हैं। जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी की जीते-जी शव यात्रा निकाली हो, वो लोग उनके बनाएं संविधान को कैसे स्वीकार कर सकते है।भाजपा समानता और लोकतंत्र विरोधी है।

cmoharyana@cmohry

मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से हरियाणा को सुशासन दिया है। गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को भी मुख्य धारा के लाभ मनोहर लाल जी ही दिला पाए हैं। उनके योगदान को हरियाणा में सदैव याद किया जाएगा। हम आदरणीय मनोहर लाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री
हरियाणा

@yadavakhilesh

जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये।
चाहे कुछ हो जाए कल ह्यइलेक्टोरल बांड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी।

चिट्ठी आई है

खस्ताहाल सड़कों पर ध्यान दे सरकार

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेस वे शुरू कर दिया, प्रदेश प्रगृति की राह में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कालोनियां, सेक्टरो समेत गांव की सड़कों की हालत आज भी खस्ता बनी हुई है। सड़कों की हालत इतनी खस्ता है, कि अनगिनत गड्ढे सड़क के उद्देश्य को विफल बना रहे हैं। इसके अलावा, बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और क्षेत्र भारी दुर्घटना संभावित हो जाता है। सड़क की दुर्दशा के कारण निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों वाली सड़कों की हालत ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हास्यास्पद तो यह कि ही यह जिला प्रशासन को दिखाई दे रहा है और ही नगर निगम को। लाखों खर्च कर बनाई इन सड़कों की दशा और दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। दिन के समय में तो फिर भी गनीमत है, पर रात का सफर तो बिल्कुल ही नहीं। हैरत तो इस बात की है कि शहर के पॉश एरिया की सड़कों की हालत भी ऐसी है। गली कूचे की तो भगवान ही मालिक हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह पहले गड्ढे मुक्त सड़कें नागरिकों को उपलब्ध करवाएं।

हिमांशी, फरीदाबाद

पाठकों से 'चिट्ठी आई है' कालम के लिए विचार, सुझाव और शिकायतें आमंत्रित हैं।
-संपादक

महिला दिवस तो मना, कम नहीं हुई महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

कविता

वरिष्ठ पत्रकार

भारत में गत आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उसके बाद से ही देश तो क्या विदेशों में भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे है। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला का शव कूड़ेदान में मिला, पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसे ही महिलाओं की हत्या के मामले सामने आ रहे है, ऐसा ही संतकबीरनगर में सुभासपा की महिला नेता नंदिनी राजभर की रविवार को दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। वह पार्टी की महिला सभा की प्रदेश महासचिव थी। आरोपियों ने घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर हत्या की है। घटना के पीछे जमीनी विवाद का कारण सामने आ रहा है। दिनदहाड़े हत्या से गांव में तनाव का माहौल है। वहीं हरियाणा के पलवल जिले में महिला दिवस के एक दिन बाद ही शादी समारोह से लौट रही युवती को अकेला देखकर अपहरण कर लिया गया। पीड़िता को सरसों के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

इन मामलों को देखकर लगता है कि भारत में तकनीकी प्रगति और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दोनों ही साथ-साथ चल रहे है। महिलाओं के विरुद्ध होती यह हिंसा अलग-अलग तरह की होती है तथा महिलाएं इस हिंसा का शिकार किसी भी जगह जैसे घर, सार्वजनिक स्थान या दफ्तर में हो सकती हैं। महिलाओं के प्रति होती यह हिंसा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इसे अब और ज्यादा अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आधी जनसँख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारतीय समाज के पुरुष-प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से लड़ना पड़ता है उनमे प्रमुख है दहेज-हत्या, यौन उत्पीड़न, महिलाओं से लूटपाट, नाबालिग लड़कियों से राह चलते छेड़-छाड़ इत्यादि। भारतीय दंड संहिता के अनुसार बलात्कार, अपहरण अथवा बहला फुसला के भगा ले जाना, शारीरिक या मानसिक शोषण, दहेज के लिए मार डालना, पत्नी से मारपीट, यौन उत्पीड़न आदि को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिला हिंसा से जुड़े केसों में लगातार वृद्धि हो रही है और अब तो ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

हिंसा से तात्पर्य है किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना। किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कह कर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही रूप है। इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती परन्तु दिलों-दिमाग पर गहरा आघात जरुर पहुँचता है। बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है तथा दफ़्तर या घर में दहेज के लिए मारना, यौन शोषण, पत्नी से मारपीट, बदसलूकी जैसी घटनाएँ घरेलू हिंसा का उदाहरण है। लड़कियों से छेड़-छाड़, पत्नी को भ्रूण-हत्या के लिए मजबूर करना, विधवा महिला को सती-प्रथा के पालन करने के लिए दबाव डालना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आते है। ये सभी घटनाएँ महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहीं हैं। महिलाओं के प्रति होती हिंसा में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तो ये चिंताजनक विषय बन चुका है। महिला हिंसा से निपटना समाज सेवकों के लिए सिरदर्द के साथ-साथ उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हालांकि महिलाओं को जरुरत है की वे खुद दूसरों पर निर्भर न रह कर अपनी जिम्मेदारी खुद ले तथा अपने अधिकारों, सुविधाओं के प्रति जागरूक हो।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बहुत पुराना सामाजिक मुद्दा है जिसकी जड़ें अब सामजिक नियमों तथा आर्थिक निर्भरता के रूप में जम चुकी है। बर्बर सामूहिक बलात्कार, दफतर में यौन उत्पीड़न, तेजाब फेकनें जैसी घटनाओं के रूप में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उजागर होती रही है। इसका ताजा उदाहरण है राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 निर्भया गैंग-रेप केस। 23 साल की लड़की से किये गए सामूहिक बलात्कार ने देश को झकझोर कर रख दिया था। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में भीड़ बदलाव की मांग करती हुई सड़कों पर उतर आई।

डे इन हिस्ट्री

13 मार्च 2024

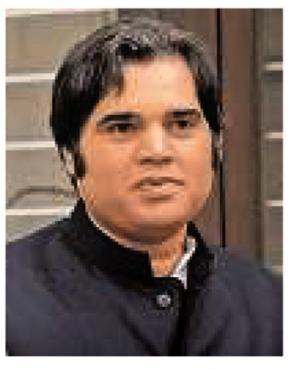

13 मार्च 1980 को दिल्ली में जन्मे वरुण गांधी, एक युवा राजनेता है।

- 1940 में आज ही के दिन भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर गोलियां चलाईं थीं।
- 2003 - इराक पर ब्रिटेन के प्रस्तावों को फ़्रांस ने नामंजूर किया।
- 1997 - सिस्टर निर्मला का चयन नेता के रूप में ईंन्डियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा किया गया।
- 1999 - शेख हमाज बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के नये शासक बने, 23 वर्षों के अंतराल के बाद श्रीलंका सरकार ने हत्या एवं मादक द्रव्य तस्करी सद्दश अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा पुनः बहाल करने का निश्चय किया।
- 2002 - राबर्ट मुगावे पुनः जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति निर्वाचित, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जापान यात्रा प्रारम्भ, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर के लिए समय मांगा।
- 2018 - छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमलें में सीआरपीएफ के 9 जवानों की मौत।

त्वरित टिप्पणी

धारा 144 में भी होती है नकल, परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ और पेपर लीक

संजय मग्गू

प्रधान संपादक

देशभर में जहां सीबीएसई की तो वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं प्रदेश में चल रही है। नकल न करने के तमाम दावें किए जा रहे है, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में जमकर नकल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकारी भर्तियों में पेपर लीक होने की खबरें लगातार चचाओं में हैं। तमाम सरकारें पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए देती हैं लेकिन इसके बावजूद भी नकल और पेपर लीक होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

अगर हम देश के पिछले 5 सालों के पेपर लीक का रिकॉर्ड देखें तो लगभग 15 राज्यों की कम से कम 45 सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। इससे उन सभी 1.4 करोड़ अभ्यर्थियों पर बुरा असर पड़ा है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। पेपर लीक की घटनाएं केंद्र और कई राज्यों में कानून बनने के बाद भी जारी हैं।

पेपर लीक की समस्या को देखते हुए कई सरकारों ने भर्ती एग्जाम ही कराना बंद कर दिया है। 2014 में उत्तर प्रदेश में पहली बार पेपर लीक की खबर सामने आई थी। तब उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी का पत्र लीक हुआ था। इस लीक ने उस समय की अखिलेश यादव सरकार को बहुत बदनाम किया।

मामले की जांच करने वाली संस्था, केजीएमयू भी चर्चा में आई। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा का पेपर जुलाई 2023 में लखनऊ में लीक हो गया। यूपीएसटीएफ मामले की जांच करेगा। ठीक एक साल बाद बिहार में बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बीजेपी ने उस वक्त बिहार में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सभी पेपर लीक सरकारी कार्यों से जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 1.4 करोड़ लोगों पर सीधे पेपर लीक का असर पड़ा। लेकिन पेपर लीक को रोका नहीं जा रहा है। वहीं हरियाणा शिक्षा विभाग की बात करें, तो वह नकल रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल रोकने के लिए धारा 144 लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद केंद्रों पर नकल फेंकने वालों का जमघट रहता है। भीड़ को देखकर कोई नहीं कह सकता कि धारा 144 लगी हुई है।

पुलिस व शिक्षा विभाग के उड़नदस्ते हर पेपर में 5 से 10 नकल करने वालों को पकड़कर उनके खिलाफ केस बना रहे हैं, लेकिन फिर भी नकल नहीं रुक रही है। एक हफ्ते से हरियाणा के नूंह और पलवल जिलों की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। जिसमें नकल फेंकने वाले दीवारों व छतों पर चढ़कर नकल फेंकते नजर आ रहे है। लेकिन उक्त पेपर में शिक्षा बोर्ड के उड़नदस्तों ने नकल करते हुए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 13 परीक्षार्थियों को पकड़कर उनके खिलाफ केस बनाए।

वहीं पुलिस ने भी परीक्षा केंद्रों पर नकल फेंकने वाले कई युवाओं को पकड़ा। हालांकि बाद में उन युवाओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पुलिस नकल फेंकने वालों पर शिकंजा कसने का प्रयास करती रही, लेकिन भीड़ के चलते नकल नहीं रुकी।